International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 9 Sep. 2022, pp: 288-289 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

प्राचीन भारत की भाासन संस्थाएँ

बृजको यादव
(भाोध छात्र)
प्राचीन भारतीय इतिहास
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,
जीवाजी वि वविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

Date of Submission: 01-09-2022 Date of Acceptance: 10-09-2022

मनुश्य सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता। मनुश्य प्रारम्भ से सभ्य नहीं था। मनुश्य को जब समाज में रहते हुए उसे विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा तब उसने राजनैतिक समाज अर्थात भाासन संस्थाओं की महत्ता और उसकी अनिर्वायता का अनुभव किया। प्राचीन भारत में कई प्रकार के भाासन संस्थाओं के अस्तित्व के प्रमाण साहित्य तथा लेखों से प्राप्त होते हैं। भारतीय मनीशियों का स्पश्ट मत है कि भाासन संस्था के अभाव में समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें बलवान दुर्बलों का उसी प्रकार भक्षण करने लगते हैं जिस प्रकार जल में बड़ी मछली छोटी मछली का करती है।[1]

प्राचीन भारत में प्रारम्भ से ही सामाजिक व्यवस्था एवं सुरक्षा को बनाये रखने के लिये भाासन संस्थाओं की आव यकता को समझा गया था। प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्था में सत्ता किसी एक व्यक्ति वि ोश के हाथों में न होकर समूह या परिशद के हाथों में होती थी। इस व्यवस्था के कारण भाासक निरंकु ा नहीं हो जाता था। भाासन–व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए समय–समय पर सभा, समिति, विदथ एवं पौर–जनपद जैसी संस्थाओं का गठन किया गया था। भाासन का कार्य राजा द्वारा अकेले संचालित नहीं होता था। ऋग्वैदिक समाज प ुचारी समाज था। ऋग्वैदिक लोग छोटे–छोटे समूहों में विभक्त थे। वैदिक जनों की सबसे छोटी इकाई परिवार अथवा कुल थी, कुलों के मिलने से ग्राम तथा ग्रामों के मिलने से 'वि ा' बनता था, और कई वि ो का समुदाय 'जन' कहलाता था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर गोत्र, व्रात,[2] व्रातपति आदि भाब्दों का उल्लेख हुआ है। गोत्र का उल्लेख गायो के निवास स्थान से है। व्रात भाब्द उल्लेख समूह अथवा दल के रूप में है तथा व्रात के नेता को व्रातपति कहा जाता था। ग्राम[3] भाब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 'जन' या कबीले के अर्थ में मिलता है। गाँव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था।[4]

ऋग्वेद में 'जन' भाब्द का 275 बार तथा वि ा भाब्द का 171 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित भाब्द 'जन' और 'वि ा'[5] जनजातीय प्रकृति का संकेत करते हैं। 'जन' पितृसत्तात्मक बंधुत्व पर आधारित सबसे बड़ी इकाई थी और इसका मुखिया राजा कहलाता था। राजा जनस्य गोपित जनस्य भी कहलाता था।[6] 'जन' से जनपद का उदय हुआ जिसके प्रधान को वि ापति[7] कहा जाता था। जिसका अर्थ कबीले का मुखिया। राजा अपने कबीले पर भाासन करता था न कि किसी भू–भाग पर। राजा कबीले के मवे ाी की रक्षा और युद्ध करता था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पंचजनः भाब्द का उल्लेख हुआ है यह भाब्द पाँच जनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आर्यों के प्रमुख पाँच जन या कबीले अनु., द्रुह, यदु, तुर्वसु, और पुरू थे, जिन्हें पंचजनाः कहा गया। इन समुदायों के बीच प ुाओं को लेकर आपस में संघर्श होता रहता था। इस संघर्श में जीतने वाले सरदार अधिक भाक्ति ाली होते गये। बाद में सभा, समिति, विदथ जैसे संगठनों का पता चलता है। उत्तरवैदिक कालीन समाज कृशक और स्थायी निवास वाला समाज था। इस काल में राज्य और क्षत्रिय पर्यायवाची हैं और कई स्थानों में राजन्य को क्षत्र कहा गया है।[8] क्षत्र का अर्थ सत्ता या भाक्ति है। इस काल के कबीलाई समाज में कई प्रकार के अन्तर्विरोध थे। केन्द्रिय सरदार और नीचे के कुलों के सरदारों के बीच संघर्श चलता रहता था। राजा या सरदार अपने बांधवों की रक्षा भी करता था और उनसे कर भी लेता था राजा को 'वि ापति और वि ामता' दोनों कहा गया है।[9] उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन कबीलों का प्रायः लोप हो गया उनके स्थान पर बड़े–बड़े राज्यों का उदय हुआ कबीलों के युग्मन से बने राज्यों में कुरु, पांचाल प्रमुख थे। क्षेत्रगत राज्यों के उदय से कई तरह की भाासन प्रणाली स्थापित हो गयी। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य तथा राज्य नामक भाासन प्रणालियों का उल्लेख हुआ है। लौह उपकरण के विकास के फलस्वरूप कृशि उत्पादन में वृद्धि हुई अधि ोश उत्पादन होने लगा। राजा को राजकार्य चलाने के लिए अपने नातेदारों के अलावा अन्य लोगों की भी सेवा प्राप्त होने लगी। राजा कर या विजय से प्राप्त धन को राजकार्य में खर्च करता था। प्रारम्भिक कबीलाई समाज की तरह विजय और कर से प्राप्त धन का बटवारा नहीं होता था। कुल मिलाकर छठी भाताब्दी ई.पू. आते–आते पूर्ण राज्य का लक्षण दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात राज्य सम्प्रभुता, क्षेत्र, कर प्रणाली और भाासकीय अधिकारी इन सभी तत्वों से युक्त दिखाई पड़ता है। छठी भाताब्दी ई.पू. में दो तरह की भाासन प्रणाली प्रचलित थी। एक गणतन्त्रात्मक और दूसरा राजतन्त्रात्मक भाासन प्रणाली। बौद्ध ग्रन्थों में राजा के मंत्रीपरिशद को परिशद या परिशा कहा गया है। डॉ. के.पी. जायसवाल कहते हैं कि 'ऋग्वेद' और 'अथर्ववेद' महाभारत में व्यक्त विचारों और ईसा पूर्व चौथी भाताब्दी में मेगास्थनीज द्वारा वर्णित भारत सम्बन्धी अनुश्रुतियों से इस बात का संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक भाासन का उदय 'राजतंत्र' के काफी बाद और पूर्व वैदिक काल के प चात हुआ क्योंकि इसके प्रमाण परवर्ती वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं।[10] प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम जनतंत्र के रूप में हुई थी और वैदिक काल में ही जनतंत्र का रूप विकसित हो चुका था। महाभारत में यादव, कुकुर, भोज, अन्धक और वृश्णि नामक पाँच गणराज्यों का संघ बहुत प्रसिद्ध था[11] प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर भारत के प्राचीन जनपदों में पौर–जानपद की सत्ता का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि जब को ाल जनपद के राजा द रथ ने राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहा तो उन्होंने पौर–जानपद की सहमति ली थी[12] कौटिल्य के अर्थ ाास्त्र तथा भाक भाासक रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में पौर जानपद का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थ ाास्त्र में राज्य के सात अंगों का उल्लेख है ये हैं– स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र। प्राचीन भारत के भाासन के बारे में रामायण, पाणिनी के अश्टाध्यायी तथा भाुक्रनीतिसार में भी वर्णन मिलता है। पाणिनी के अश्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ में अनेक जनपदों का उल्लेख है। इनमें कुछ गणराज्य रहे थे और कुछ में राजतन्त्र की भाासन पद्धति थी। पाणिनी ने गण और संघ का प्रयोग किसी नि चित कार्य या उद्दे य से संगठित व्यक्तियों की संस्था के अर्थ में किया है। डॉ. के.पी. जायसवाल का मत है कि यहाँ संघ भाब्द को

International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)
Volume 4, Issue 9 Sep. 2022, pp: 288-289 www.ijaem.net ISSN: 2395-5252

गण के अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है दोनों का उपयोग एक ही अर्थ में हुआ है[13] भुक्रनीतिसार में दण्डनीति भाब्द का प्रयोग किया गया है। कांमदक के अनुसार दमन ही दण्ड है। राजा दण्ड देता है अतः राजा ही दण्ड है और उसकी नीति दण्डनीति है[14] प्राचीन भारत की भाासन संस्थाओं में समय–समय पर अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ जो भाासन के कार्य में सहायक सिद्ध हुई जैसे– राजपद और राजा के कर्तव्य से संबंधित संस्थाए सप्तांग, दण्डनीति, आय तथा व्यय और प्राचीन काल में सैन्य संगठन से संबंधित संस्थाए। महाभारत के भाांतिपर्व में उल्लेख है कि राजा की जड़ है सेना और कोश। इनमें भी कोश ही सेना की जड़ है[15] राज्य की आय के स्रोत के रूप में बलि, भाग, कर, भुल्क आदि भाब्दों का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्त्रोतों में मिलता है। कौटिल्य के अर्थ ाास्त्र में अर्थविभाग के विभिन्न पदाधिकारी के नाम बताये गये है जैसे–समाहर्ता, सन्निधाता स्थानिक, गोप, प्रदेश्टा, कोशाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष आदि। प्राचीन भारतीय राज ाास्त्र में राज्य के सात अंगों में सेना या बल को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आधुनिक काल की तरह प्राचीन काल में भी राश्ट्र की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए सेना की अत्यन्त आव यकता थी। प्राचीन भारतीय राज ाास्त्र के प्रणेताओं के मतानुसार सेना छः प्रकार की होती हैं जैसे–मौल, भृत या भृतक, श्रेणी, मित्र, अमित्र, आटवी या आटविक।[16] इस प्रकार प्राचीन भारतीय सम्राट अपनी सामरिक भाक्ति को मजबूत रखने के लिए वि ाल सेना रखते थे।

प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा ही रोचक है। भारतीय इतिहास के वैदिक काल में ही राजनीतिक और प्रा ाासनिक संगठन के ढांचे का विकास हो गया था। राज ाास्त्र का इतिहास दे ा में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण जीवन का चित्रण करता है। प्राचीन भारतीय समाज में राजतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजतंत्र में दे ा की एकता और अखण्डता भारत के कुछ गिने–चुने राजवं ाों तक ही सीमित रही है। उपरोक्त वर्णनों से स्पश्ट होता है कि प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था में आधुनिक काल की लोकसभा की तरह ही सत्ता किसी एक व्यक्ति वि ोश के हाथों में न होकर समूह या परिशद के हाथों में होती थी। जिसका भाासन के विभिन्न कार्यों पर पूरा नियंत्रण रहता था। इस व्यवस्था के कारण भाासक निरंकु ा नहीं हो पाता था।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. महाभारत भाान्तिपर्व 12.67.16.
2. भार्मा आर.एस. मैटीरियल कलचर एण्ड सो ाल फार्मे ान इन एि ायंट इण्डिया, पृ. 46–48
3. ऋग्वेद 1/37/8
4. भार्मा आर.एस. वही 46–48
5. ऋग्वेद 10/84/2
6. भार्मा आर.एस. वही
7. ऋग्वेद 1/37/8
8. भातपथ ब्राह्मण
9. तैतरीय संहिता
10. जायसवाल, के.पी. हिन्दू पॉलिटी, पृ. 23
11. महाभारत भाा.प. 81.29 पृ. 4632
12. रामायण 2/14/54
13. जायसवाल, के.पी. हिन्दू पॉलिटी पृ. 23–28
14. भुक्रनीतिसार, 1,157
15. महाभारत भाान्तिपर्व 119/16 पृ. 4727
16. काणे पी.वी. धर्म ाास्त्र का इतिहास पृ. 676